कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक– 179 /सोनभद्र/33,दिनांक, राबर्ट्सगंज, अगस्त 04 ,2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग
जनपद–सोनभद्र।

विषय– जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीबारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 18.09हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृणीकरण में प्रभावित 0.4293हे0 आरक्षित वनभूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात कुल 18.5193हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/292/2022/एफसी/106 दिनांक–04.05.2023, इस कार्यालय का पत्रांक– 1775/सोनभद्र/33, दिनांक 12.05.2023।**

उपरोक्त विषयक परियोजना निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय लखनऊ द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से निम्नानुसार 29 विन्दुओं की शर्त अधिरोपित करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृत निर्गत किया गया है, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्ति स्वीकृत में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के साथ साथ वांछित धनराशि नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु मुंख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राक्कलन में आंकलित सेन्टेज चार्ज हटाने एवं रोड साइड पटरी वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित प्राक्कलन उपलब्ध कराने का मौखिक निर्देश प्राप्त हुआ है। तत्क्रम में निम्नानुसार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

1. legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by forest department over 18.1593ha non forest land in khasara no . 722, 719ka, 702ch, 768ga, 541ka, 718g in village Baijnath, District Sonbhadra at the cost of the user agency as far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. Forest land will be handed over only after required non forest land for the project is handed over by the user agency.
4. The non forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as RF/PF Perior to stage-II approval. a copy of the original notification declaring the non forest land under section-4 or section-29 of the Indian Forest Act 1927 or under the relevant section of the state forest act as case may be, will submitted by the state government at the time of submission of compliance of AIP.

The cost of compensetory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA plantation will be mantained for ten years. The scheme may include apropriate provision for anticipated cost increase for work sheduled for subsequent years.

6. The state government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 18.5193ha forest area to be diverted under this proposal form the user agency as per the orders Hon'ble Suprem court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA no 566 in WP (C) no. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letter no 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18.09.2003 as well as letter no 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009.
   revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by user agency in this regard.
7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme court of india on receipt of the report from the expert committee. Shall be charged by the state government from the user agency. The user agency shall furnish an undertaken to this effect.
8. The non forest land provided for CA shalll be demarcated with boundary pillars
9. User agency shall restrict the felling of trees to 98 trees/minimum numbers in the deverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the state forest departement and the cost of felling of tree shall be deposited by the user agency with the state forest department.
10. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
11. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
12. Plantation shall be raised on both sides of the road and medium (if available) by the state forest department at the cost of User Agency as per submited scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.
13. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the protected areas/Forest Areas.
14. The user agency shall Provide suitable under /over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendation fo CWLW/NBWL/FAC/REC.
15. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986. If applicable.
16. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of central Gevernment.
17. No labour camp shall be established on the forest land.
18. Sufficient fire wood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
19. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
20. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
21. The period of diversion under the approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.
22. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, departed or person without prior approval of Govt. of India.

The KML file of the area to be diverted the CA area, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of work.

25. Any order of temporary work Permission in case of linear project for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well Nodal officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
26. Violation of any these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.
27. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & Wildlife.
28. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (http://parivesh.nic.in).
29. The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in).

उक्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या एवं परियोजना के सापेक्ष निम्नानुसार वांछित धनराशि नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा कराते हुए क्षतिपूरक वनींकरण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि को वन विभाग सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र के नाम अमलदरामद कराकर प्रत्येक गाटों का अलग–अलग उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेसिंग क्लाथ पर तरमीम कराते हुए तरमीमी मानचित्र छः प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	NPV की धनराशि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	वृक्षों के छपान एवं पातन हेतु धनराशि	बाउण्ड्री पिलर स्थापना हेतु धनराशि	रोड साइड पटरी वृक्षारोपण हेतु धनराशि	सम्पूर्ण योग
				5	6	7	8
1	2	3	4				
2	सोनभद्र	1,73,26,241.00	42,72,000.00	छपान– 2254 (98@23) + पातन– 48020 (98@490) = 50,274.00	सर्वे–2500 सीमा स्तम्भ– 27500 (10@2750) + इंडिकेटर– 10450 (10@1045) = 40,450.00	2,80,52,800.00	4,97,41,765.00

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

संख्या/ 179 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

भदई अरार से मकरीबारी सम्पर्क मार्ग (पैकेज संख्या– UP67148)
सोनभद्र वन प्रभाग राबर्ट्सगंज सोनभद्रं
क्षतिपूरक वृक्षारोपण का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (पौध **संख्या)**	वित्तीय **(लाख** में)
प्रथम	6700 पौध	220.26000
द्वितीय	6700 पौध	27.61600
तृतीय	6700 पौध	22.44800
चतुर्थ	6700 पौध	3.55400
पंचम	6700 पौध	0.95000
षष्ठम	6700 पौध	0.95000
सप्तम	6700 पौध	0.95000
अष्टम	6700 पौध	0.95000
नवम	6700 पौध	0.95000
दशम	6700 पौध	0.95000
दशम	6700 पौध	0.95000
योग		**280.52800**

शब्दों में रू0 दो करोड़, अस्सी लाख, बावन हजार आठ सौ मात्र

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

सोनभद्र वन प्रभाग रावर्ट्सगंज सोनभद्रं

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि
प्रथम	5.833 हे0	3.503	3.503
द्वितीय	5.833 हे0	1.775	1.775
तृतीय	5.833 हे0	1.201	1.321
चतुर्थ	5.833 हे0	1.170	1.404
पंचम	5.833 हे0	1.221	1.587
षष्ठम	5.833 हे0	0.480	0.672
सप्तम	5.833 हे0	0.521	0.782
अष्टम	5.833 हे0	0.382	0.611
नवम	5.833 हे0	0.382	0.649
दसम	5.833 हे0	0.131	0.236
एकादस	5.833 हे0	0.131	0.249
द्वादस	5.833 हे0	0.131	0.262
योग		**11.028**	**13.051**

शब्दों में रू0 तेरह लाख पांच हजार एक सौ मात्र

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

सोनभद्र वन प्रभाग रावर्ट्सगंज सोनभद्रं

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि
प्रथम	5.7773 हे0	3.488	3.488
द्वितीय	5.7773 हे0	1.766	1.766
तृतीय	5.7773 हे0	1.196	1.316
चतुर्थ	5.7773 हे0	1.143	1.372
पंचम	5.7773 हे0	1.177	1.530
षष्ठम	5.7773 हे0	0.478	0.669
सप्तम	5.7773 हे0	0.519	0.779
अष्टम	5.7773 हे0	0.380	0.608
नवम	5.7773 हे0	0.380	0.646
दसम	5.7773 हे0	0.131	0.236
एकादस	5.7773 हे0	0.131	0.249
द्वादस	5.7773 हे0	0.131	0.262
योग		**10.920**	**12.920**

शब्दों में रू0 बारह लाख बानबे हजार मात्र

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

सोनभद्र वन प्रभाग राबर्ट्सगंज सोनभद्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि
प्रथम	4.811 हे0	3.065	3.065
द्वितीय	4.811 हे0	1.460	1.460
तृतीय	4.811 हे0	1.196	1.316
चतुर्थ	4.811 हे0	0.966	1.159
पंचम	4.811 हे0	0.976	1.269
षष्ठम	4.811 हे0	0.402	0.563
सप्तम	4.811 हे0	0.503	0.755
अष्टम	4.811 हे0	0.377	0.603
नवम	4.811 हे0	0.377	0.641
दसम	4.811 हे0	0.125	0.225
एकादस	4.811 हे0	0.125	0.238
द्वादस	4.811 हे0	0.125	0.250
योग		**9.697**	**11.543**

शब्दों में रू0 ग्यारह लाख चौवन हजार तीन सौ मात्र

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

सोनभद्र वन प्रभाग रावर्ट्सगंज सोनभद्रं

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि
प्रथम	2.098हे0	1.855	1.855
द्वितीय	2.098हे0	0.446	0.446
तृतीय	2.098हे0	0.362	0.398
चतुर्थ	2.098हे0	0.374	0.449
पंचम	2.098हे0	0.383	0.498
षष्ठम	2.098हे0	0.255	0.357
सप्तम	2.098हे0	0.195	0.293
अष्टम	2.098हे0	0.193	0.309
नवम	2.098हे0	0.193	0.328
दसम	2.098हे0	0.048	0.086
ग्यारहम	2.098हे0	0.048	0.091
द्वादस	2.098हे0	0.048	0.096
योग		**4.400**	**5.206**

शब्दों में रू0 पांच लाख बीस हजार छः सौ मात्र

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मिर्जापुर।

पत्रांक– 232 /33–1 .दिनांक, मिर्जापुर, अगस्त 02, ,2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,सोनभद्र।

विषय– जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीबारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 18.09हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 0.4293हे0 आरक्षित वनभूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात कुल 18.5193हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/292/2022/एफसी/106 दिनांक– 04.05.2023।**

उपरोक्त विषयक परियोजना निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय लखनऊ द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से निम्नानुसार 29 विन्दुओं की शर्त अधिरोपित करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृत निर्गत किया गया है।

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by forest department over 18.1593ha non forest land in khasara no . 722, 719ka, 702ch, 768ga, 541ka, 718g in village Baijnath, District Sonbhadra at the cost of the user agency as far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. Forest land will be handed over only after required non forest land for the project is handed over by the user agency.
4. The non forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as RF/PF Perior to stage-II approval. a copy of the original notification declaring the non forest land under section-4 or section-29 of the Indian Forest Act 1927 or under the relevant section of the state forest act as case may be, will submitted by the state government at the time of submission of compliance of AIP.
5. The cost of compensetory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA plantation will be mantained for ten years. The scheme may include apropriate provision for anticipated cost increase for work sheduled for subsequent years.
6. The state government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 18.5193ha forest area to be diverted under this proposal form the user agency as per the orders Hon'ble Suprem court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA no 566 in WP (C) no. 202/1995 and as per the gùidelines issued by the ministry vide letter no 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18.09.2003 as well as letter no 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009.

revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by user agency in this regard.

7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme court of india on receipt of the report from the expert committee. Shall be charged by the state government from the user agency. The user agency shall furnish an undertaken to this effect.
8. The non forest land provided for CA shalll be demarcated with boundary pillars
9. User agency shall restrict the felling of trees to 98 trees/minimum numbers in the deverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the state forest departement and the cost of felling of tree shall be deposited by the user agency with the state forest department.
10. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
11. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
12. Plantation shall be raised on both sides of the road and medium (if available) by the state forest department at the cost of User Agency as per submited scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.
13. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the protected areas/Forest Areas.
14. The user agency shall Provide suitable under /over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendation fo CWLW/NBWL/FAC/REC.
15. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986. If applicable.
16. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of central Gevernment.
17. No labour camp shall be established on the forest land.
18. Sufficient fire wood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
19. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
20. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
21. The period of diversion under the approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.
22. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
23. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, departed or person without prior approval of Govt. of India.
24. The KML file of the area to be diverted the CA area, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of work.
25. Any order of temporary work Permission in case of linear project for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under under

intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well Nodal officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

26. Violation of any these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.

27. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & Wildlife.

28. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (http://parivesh.nic.in).

29. The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in).

उक्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या एवं परियोजना के सापेक्ष निम्नानुसार वांछित धनराशि नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा कराते हुए सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें:—

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	NPV की धनराशि	बाउण्ड्री पिलर स्थापना हेतु धनराशि	रोड साइड पटरी वृक्षारोपण हेतु धनराशि	सम्पूर्ण योग
1	2	3	4	5	7
1	कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर	67,30,512.00	18,217.00	49,35,031.00	1,16,83,760.00

रू0 एक करोड़ सोलह लाख तिरासी हजार सात सौ साठ मात्र ।

उक्त के अतिरिक्त विषयक वन्य जीव प्रस्ताव में राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद (NBWL) द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त तदनुसार अनुपालन आख्या/धनराशि उपलब्ध कराने हेतु अलग से प्रस्ताव/पत्र प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

संख्या 232/33—1 /समदिनांक

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

J.E(T)

E.E.
4/8/2023

जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत स्वीकृत पैकेज सं0–यू0पी0 67148 भदई अरार से मकरीबारी मार्ग के कि0मी0 सं0–40.150 से 46.050 तक कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के अन्तर्गत वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग (चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण) सम्बन्धी प्रस्ताव सं0–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/121267/2021.

प्रभावित वन भूमि का नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन.पी.वी.) की गणना सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कैमूर वन्य जीव प्रभाग के गुर्मा रेंज अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत स्वीकृत पैकेज सं0–यू0पी0 67148 भदई अरार से मकरीबारी मार्ग के कि0मी0 सं0–40.150 से 46.050 तक कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के अन्तर्गत वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग (चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण) हेतु 5.31 हे0 कैमूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध मे भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के फाइल नं0 5–3–2011–एफ0सी0(वाल्यूम–1) दिनांक 6–1–2022 के अद्यतन दर के अनुसार उक्त प्रभावित भूमि 5.31 हे0 (कैमूर वन्य जीव विहार की भूमि, गैर वन भूमि एवं इकोसेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत गैर वन भूमि) का नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन.पी.वी.) की गणना निम्नानुसार है :–

	क्षेत्रफल हे0	इको क्लास	घनत्व	प्रति हे0 वैल्यू (रू0में)	गणना	कुल वैल्यू (रूपये में)
कैमूर वन्य जीव विहार की वन भूमि	0.4293	III	0.1	9,57,780.00	0.4293×5×9,57,780	20,55,874.77
कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गैर वन भूमि	2.7000			9,57,780.00	2.7000×9,57,780	25,86,006.00
कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत गैर वन भूमि	2.1807			9,57,780.00	2.1807×9,57,780	20,88,630.84
						6730511.61
योग–	5.31				या–	67,30,512.00

(रूपये सरसठ लाख तीस हजार पाँच सौ बारह मात्र)

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर

Scanned with OKEN Scanner

सर्वे सीमांकन एवं वन सीमा स्तम्भों की स्थापना कार्य

जनपद–जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा मधई अरार से मकरीबारी सम्पर्क मार्ग में (कि0मी0 40.150 से कि0मी0 46.050 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के अर्न्तगत गुर्मा रेंज में प्रभावित 0.4293हे0 (5.900 कि0मी0) आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– एफ0पी0/यू0पी0/रोड/121207/2021) सीमा परियोजना की लागत पर सामुचित रूप से सीमांकन किये जाने हेतु प्राक्कलनः–

कुल वन सीमा सर्वे कार्य – 10.00 कि0मी0
सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु चिन्हांकन –20 सीमा स्तम्भ
इण्डीकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन – 20 इंडिकेटर

क0 सं0	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूची दर
1	सर्वे कार्य	प्र0मी0	600	5.50	3300.00	
2	सीमा स्तम्भ एवं इंडिकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन	प्रति	40	1.48	59.20	
				योग	3359.20	

सीमा स्तम्भ कार्य की स्थापना

क0 सं0	कार्य का नाम	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई /गहराई	कार्य मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	पी0डब्लू0डी0 अनुसूची दर
1	नींव का खुदान ,सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु पहाड़ी/पथरीला	20	0.60	0.50	0.50	3	घ0मी0	110	275.00	252
2	1:2:4 सीमेन्ट बालू 20एम0एम0पत्थर गिट्टी से कंक्रीटिंग कार्य	20	0.50	0.50	0.00	3.00	घ0मी0	6400	19200.00	282
		20	0.433	0.433	0.60	1.88	घ0मी0	6400	12032.00	282
3	1:2:4 सीमेन्ट बालू 20 एम0एम0 गिट्टी से सीमा स्तम्भ निर्माण	20	0.25	0.25	1	1	घ0मी0	6600	8250.00	283
4	सीमा स्तम्भ हेतु लोहा सरिया का मूल्य	20	0	0	0.15	3	कुन्तल	4500	13500.00	502
5	प्लास्टर कार्य 1:4 सीमेन्ट बालू मसाला से	20x4	0.00	0.25	1.00	20	व0मी0	128	2560.00	584
		20x1	0.25	0.25	0.00	1.25	व0मी0	128	160.00	584
6	सीमा स्तम्भ की पुताई सफेद सीमेंट से	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	67	1340.00	662
	इण्डिकेटर	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	50	1000.00	
7	सीमा स्तम्भ में लाल–हरा पेंटिंग एवं सीमा स्तम्भ पर वन विभाग को बी0पी0एस0 म0 एवं संख्या लिखवाई कार्य	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	50	1000.00	-
8	इण्डिकेटर पत्थर का क्रय मूल्य	20	0.25	0.25	0.70	20	प्रति	825	16500.00	-
9	इण्डिकेटर पत्थर का साइड तक ढुलान कार्य	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	56.60	1132.00	-
10	इण्डिकेटर पत्थर पीलर का सिरबोझ द्वारा साइड से कार्य स्थल तक ढुलान एवं लगाना	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	8.20	164.00	-
11	इण्डिकेटर पत्थर पीलर पर नम्बर डालना	20	0.00	0.00	0	20	प्रति	4.30	86.00	-
						10	प्रति0कि0मी0	160	1600.00	-
12	अन्य आकस्मिक व्यय									
	योग								78799.00	
									3359.20	
	कुल योग(सर्वे तथा सीमा स्तम्भो की स्थापना का योग)								82158.20	
	सम्पूर्ण योग								82000.00	
	या									

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–सी–202/30–टी–311 लखनऊ दिनांक 16.09.2016 के अनुसार वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित दर प्रति कि0मी0 धनराशि रु0–8200.00 रुपये

प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि को शामिल करते हुये प्रति कि0मी0 दर वर्ष 2023–24 के लिये रूपये 16080.00 मात्र (पन्द्रह हजार नौ सौ अस्सी रूपये)

कुल लम्बाई= 0.577 कि0मी0 x 2= 1.140 कि0मी0

कुल धनराशि = 1.140 कि0मी0 X रु0 16980 = 18217.20 अर्थात रु0 18217.00 (रु0 अट्ठारह हजार दो सौ सत्रह मात्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 40.150 से 46.050 तक प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 5.90 किमी0 में दायें एवं बाये पटरी पर 10–10 मीटर पर ब्रिक्सगार्ड बनाकर पौधरोपण प्रस्तावित है। जिसका प्राक्कलन निम्न प्रकार है:–

2–ब्रिक्सगार्ड बनाकर पौध रोपण किये जाने का प्राक्कलन

क्र0सं0	विवरण	संख्या	दर	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5
1	वृक्षारोपण वर्ष–अग्रिम **मृदा** कार्य **ब्रिक्सगार्ड निर्माण व वृक्षारोपण**	1180	3287.00	3878660.00
2	**प्रथम** वर्ष अनुरक्षण	1180	412.00	486160.00
3	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	1180	331.00	390580.00
4	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	1180	53.04	62587.20
5	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	1180	14.17	16720.60
6	**पंचम** वर्ष अनुरक्षण	1180	14.17	16720.60
7	**षष्टम** वर्ष अनुरक्षण	1180	14.17	16720.60
8	**सप्तम** वर्ष अनुरक्षण	1180	14.17	16720.60
9	**अष्टम** वर्ष अनुरक्षण	1180	14.17	16720.60
10	**नवम** वर्ष अनुरक्षण	1180	14.17	16720.60
11	**दशम** वर्ष अनुरक्षण	1180	14.17	16720.60
	योग–			4935031.40

अर्थात वांछित धनराशि रूपये **4935031.00** (उन्चास **लाख** पैंतिस **हजार** इक्तीस रूपये मात्र)

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

0522-2204365/ccfcampaup@gmail.com/ccfcampa-up@nic.in

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ

पत्रांक–788/2–37–2 (APO) 2018–19 (NPV)   दिनांक, लखनऊ, नवम्बरः 15,2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक,
संतकबीर नगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, गोण्डा, पीलीभीत टाईगर रिजर्व, शाहजहाँपुर, बिजनौर, नजीबाबाद, झांसी, उरई, जालौन, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, रायबरेली, उन्नाव, अवध, उ0 खीरी, कानपुर देहात, इटावा, मीरजापुर, ओबरा, रेनूकूट, सोनभद्र, आगरा, मैनपुरी, एटा काशी वन्यजीव प्रभाग एवं सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, उ0प्र0।

विषयः—उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2018–19 की वार्षिक प्रचालन योजना के विभिन्न मदों के मांग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः—इस कार्यालय का पत्रांक–2509/2–37–2, दिनांक 11.06.2018,पत्रांक–340/2–37–2, दिनांक 11.06.2018 एवं पत्रांक–685/2–37–2, दिनांक 26.10.2018।

महोदय,

उत्तर प्रदेश कैम्पा की वार्षिक प्रचालन योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत वन सीमाओं का नैसर्गिक सीमांकन तथा बाउन्ड्री पिलर की स्थापना हेतु प्रभागों से प्राप्त मांग के आधार पर प्रभागवार न्याय/अनुपातिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये संलग्न सूची के अनुसार (संलग्नक–1) आवंटित/अवमुक्त किया जाता है।

उक्त पत्रों द्वारा की गयी मांग के अनुसार धनराशि रू0 80.00 लाख का आवंटन कर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपको निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन करते हुए रू0 80.00 लाख की धनराशि पृथक से अवमुक्त की जा रही हैः–

1. उक्त धनराशि का व्यय उ0प्र0 कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वर्ष 2018–19 की वार्षिक प्रचालन योजना में एनपीवी मद के वन सीमाओं का सीमांकन तथा बाउन्ड्री पिलर की स्थापना हेतु ही किया जाय।
2. विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उक्त आवंटित धनराशि अधिकतम है। प्रभाग को आवंटित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विस्तृत प्रस्ताव (DPR) अपर प्रमुख वन संरक्षक, सा0वा0 एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–पी–202/36–टी–311, दि0 16.08.2016 द्वारा निर्धारित मानक दरों/नार्म्स के अन्तर्गत किया जाय। निर्माण कार्य सम्बन्धित क्षेत्र में प्रचलित पी0डब्ल्यू0डी0 की अनुमानित दरों के अनुरुप कराया जाय।
3. वन सीमाओं का सीमांकन तथा बाउन्ड्री पिलर की स्थापना हेतु अद्यावधिक विस्तृत प्रस्ताव (DPR) को अपने नियंत्रक अधिकारी वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (लोक निर्माण विभाग यथा आवश्यक हो) से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निम्न प्रारुप मे भेजना सुनिश्चित करें. *यदि विस्तृत प्रस्ताव (DPR) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये बिना कार्य प्रारम्भ कराया जाता है तो उसके लिये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक पूर्ण रुप से वित्तीय अनियमितता के लिये उत्तरदायी होंगें।*

A/c
उप प्रभागीय वनाधिकारी
प्र0व0स0
ओबरा
15/12/2018

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	वन सीमा का विवरण जहा सीमांकन कार्य किया जाना है	वन सीमा की लम्बाई जहा सीमांकन कार्य किया जाना है (किमी0 में)	प्रस्तावित कार्य के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले बाउण्ड्री पिलर की संख्या	आच्छादित रेंजों के नाम	आच्छादित ब्लाक/कक्ष का नाम	आवश्यक [illegible]

4. लक्ष्य का आवंटन प्रभागो से प्राप्त सूचना के आधार पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, सा0वा0 एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक पी-202/36-टी-311, दिनांक 16.08.2016 द्वारा निर्धारित सीलिंग दरो/नार्म्स द्वारा वन सीमाओ का सीमांकन तथा बाउन्ड्री पिलर की स्थापना कार्य मे 1 किमी0 मे होने वाला व्यय निम्न प्रकार होगा:-

अ	सर्वे एवं डिमारकेशन कार्य पर व्यय-	रु0	610.00
ब-	2 सीमा स्तम्भो की स्थापना पर व्यय-	रु0	5500.00
स	2 इन्डीकेटर पिलर की स्थापना पर व्यय-	रु0	2090.00
		योग-	8200.00

5. उक्त कार्यो के कियान्वयन हेतु निम्न निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

(i) अग्रपंक्ति के वन कर्मचारियो हेतु विभिन्न कैटेगिरि/प्रकार के आवासीय भवनो/बेस कैम्प के निर्माण हेतु चयनित स्थल का विवरण (स्थल का नाम, अक्षांश एवं देशान्तर सहित) अपलोड करने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्माण कार्य कराने से पूर्व अवश्य अपने स्तर से पुनः पुष्टि कर ली जाए।

प्रभागों/कार्यालय द्वारा उक्त निर्माण कार्य सम्बन्धित पी0डब्लू0डी0 सर्किल में प्रचलित अनुसूचित दरों के आधार पर किया जाएगा।

6. कैम्पा के अन्तर्गत करवाये गये कार्यो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यो के सापेक्ष प्रगति का स्थलवार मासिक विवरण प्रत्येक माह हेतु आगामी माह की 2 तारीख तक प्रत्येक दशा मे फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

7. उक्त धनराशि के व्यय हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत State CAMPA गाइडलाइन्स एवं उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-1604/14-2-2015-600(4)/2009 दि0 22.09.2015 द्वारा जारी उ0प्र0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण की नियमावली के संगत प्राविधानो को ध्यान मे रखा जाए।

भारत सरकार के पत्रांक-15-2(30)/2012-CAMPA दिनॉक 12.12.2014 द्वारा उक्त कार्य कराये जाने एवं धनराशि के व्यय हेतु NEREGA की विस्तृत गाइडलाइन्स के अनुपालन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न प्रकार निर्देश दिए गये है :-

"While carrying out the work of utilizing these funds the broad guidelines adopted by NEREGA may be followed and as far as possible work may be allotted mostly to rural unemployed people, maintaining the minimum wage level."

इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8. आवंटित धनराशि का व्यय बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानो के अनुरुप सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाए।

9. निर्माण कार्य का यथा भवन निर्माण को आगणन/साइट प्लान/मास्टर प्लान आदि तैयार कर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही उक्त धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जाय। भवनो के निर्माण मे वित्त संसाधन विविध अनुभाग के शासनादेश संख्या-1135 दि0-स0नि0-1-99 दिनांक 10.09.1999 मे निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निर्माण कार्य सम्बन्धित क्षेत्र मे प्रचलित पी0डब्लू0डी0 की अनुसूचित दरों के अनुसार करवाये जाये।

10. सामग्री का क्रय स्टोर पर्चेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय एवं व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध मे जारी अद्यतन शासनादेशों का अनुपालन किया जाय।

विभिन्न मदों हेतु उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित को रु0 80.00 लाख उनके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये इन्ट्रस्ट बियरिंग एकाउण्ट मे पृथक से electronically transfer की

12. आवंटित धनराशि के व्यय हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 के पत्राक 52/6-3-3 दिनाक 25-08-11 द्वारा लेखांकन प्रकिया के सम्बन्ध मे निर्गत किये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस कार्यालय के पत्रांक 1719/2-1 (मासिक लेखा) /Doble Entry दिनांक 13.05.2016 द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुरूप मासिक लेखा प्रत्येक माह भेजना सुनिश्चित किया जाय।

13. आवंटित धनराशि को आवश्यकतानुसार ही बैक से आहरित कर व्यय किया जाय। किसी भी दशा मे अनावश्यक रुप से धनराशि बैंक से आहरित न की जाय।

14. सम्पादित कार्यो की माप को मापन पुस्तिका मे प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य होगा। मापन पुस्तिका पर व्यय पत्र/प्रमाणक पारितकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर भी किया जाएगा।

15. इस कार्यालय के पत्रांक 679/2-37-2 दिनांक 26.10.2017 द्वारा निर्गत निर्देश कि कैम्पा फण्ड से भवनों के निमार्ण/मरम्मत कार्य से पूर्व एवं कार्य के बाद फोटो ग्रॉफी अवश्य करायी जाय।

16. ई-टेण्डरिंग प्रकिया के सम्बन्ध मे उ0प्र0 शासन तथा वन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय।

17. ई-पमेंट आन-लाईन मनी ट्रांसफर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध मे वन एवं वन्यजीव अनुभाग-4 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1947/14-4-2017, दिनांक 30.08.2017, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-193/40-5, दिनांक 04.09.2017 एव इस कार्यालय का पत्रांक-600/2-37-2, दिनांक 28.09.2017 तथा उ0प्र0 शासन एव वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित किया जाये।

18. भुगतान से पूर्व एक बार पुनः सुनिश्चित हो ले कि कोई भी भुगतान आवश्यकता से अधिक एव त्रुटिपूर्ण न हों।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(सुनील कुमार दूबे)
मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
(उ0प्र0 कैम्पा), लखनऊ

संख्या 758 / **दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, प0 क्षेत्र मेरठ, द0 क्षेत्र इलाहाबाद, मध्य क्षेत्र लखनऊ, रुहेलखण्ड बरेली, बुन्देलखण्ड झांसी, लखनऊ मण्डल, कानुपर मण्डल, मीरजापुर मण्डल, आगरा क्षेत्र आगरा, वन्यजीव प0 कानपुर, वन्यजीव पूर्वी गोण्डा, उ0प्र0।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बस्ती, मेरठ, इलाहाबाद, देवीपाटन वृत्त गोण्डा, बरेली, मुरादाबाद झांसी, चित्रकूट धाम, आगरा, अलीगढ वृत्त अलीगढ, उ0प्र0।

(सुनील कुमार दूबे)
मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
(उ0प्र0 कैम्पा), लखनऊ

Combined Demand For Bhadai Arar To Makribari Under RCPLWE Package no. UP67148

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	NPV की धनराशि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि	वृक्षों के छपान एवं पातन हेतु धनराशि	बाउंड्री पिलर स्थापना हेतु धनराशि	रोड साइड पटरी वृक्षारोपण हेतु धनराशि	संपूर्ण योग
1	सोनभद्र	17326241	4272000	50274	40450	28052800	49741765
2	कैमूर	6730512	0	0	18217	4935031	11683760
Total		**24056753**	**4272000**	**50274**	**58667**	**32987831**	**61425525**

Note- 1. वृक्षों के छपान एवं पातन हेतु धनराशि रुपया 50274.00 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बंधित वन प्रभाग में जमा किया जाएगा ।